

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक19/8...../2026

विषय : विभागीय संकल्प संख्या 8116 दिनांक 27.06.2025 के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को ₹5.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹50,00,000.00 (पचास लाख रुपया) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

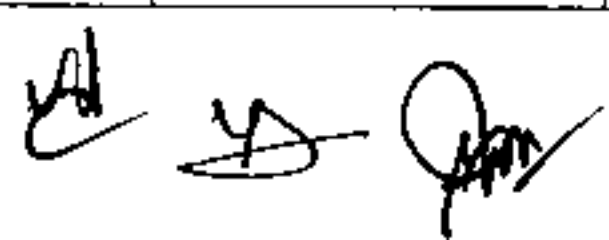
आदेश : स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है विभागीय संकल्प संख्या 8116 दिनांक 27.06.2025 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में ₹5.00 लाख रुपये मात्र के अनुग्रह अनुदान की राशि मृतक के आश्रित को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान दिनांक 27.06.2025 से लागू है।

अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक-2041/23.07.2026, आदेश ज्ञापांक-2139/01.08.2026, आदेश ज्ञापांक-1920/14.07.2026, आदेश ज्ञापांक-2003/22.07.2026, आदेश ज्ञापांक-1955/15.07.2026, आदेश ज्ञापांक-1947/14.07.2026, जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के आदेश ज्ञापांक-1729/30.06.2026, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-1934/20.07.2026, आदेश ज्ञापांक-1844/11.07.2026 एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश फलक दिनांक-17.07.2026 में संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित कराये जाने से संबंधित स्वीकृति प्राप्त है।

3. उक्त प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	संकल्प संख्या	पत्रांक/ दिनांक	मृत व्यक्ति का नाम/ पदनाम	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	8116 दिनांक 27.06.2025	जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के पत्रांक 2042 / 23.07.2026	स्व० बहुरी राम, वार्ड सदस्य	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के आदेश ज्ञापांक-2041 / 23.07.2026 में प्राप्त स्वीकृति
2		जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के पत्रांक 2140 / 01.08.2026	स्व० राजेन्द्र महतो, पंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के आदेश ज्ञापांक-2139 / 01.08.2026 में प्राप्त स्वीकृति
3		जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के पत्रांक 1921 / 14.07.2026	स्व० राजेश कुमार मंडल, पंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के आदेश ज्ञापांक-1920 / 14.07.2026 में प्राप्त स्वीकृति
4		जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के पत्रांक 2004 / 22.07.2026	स्व० सरिता रानी, वार्ड सदस्य	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के आदेश ज्ञापांक-2003 / 22.07.2026 में प्राप्त स्वीकृति
5		जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के पत्रांक 1956 / 15.07.2026	स्व० उमा लाल राय, पंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के आदेश ज्ञापांक-1955 / 15.07.2026 में प्राप्त स्वीकृति
6		जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के पत्रांक 1948 / 14.07.2026	स्व० राम विलास मंडल, पंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के आदेश ज्ञापांक-1947 / 14.07.2026 में प्राप्त स्वीकृति
7		जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)-सह- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 1822 / 07.07.2026	स्व० राम कली देवी, पंच	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के आदेश ज्ञापांक-1729 / 30.06.2026 में प्राप्त स्वीकृति




8	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 1935 / 20.07.2026	स्व० दीपक कुमार, वार्ड सदस्य	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-1934 / 20.07.2026 में प्राप्त स्वीकृति
9	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 1845 / 11.07.2026	स्व० बेचो देवी, ग्राम पंचायत सदस्य	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-1844 / 11.07.2026 में प्राप्त स्वीकृति
10	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 420 / 18.07.2026	स्व० लवंगी देवी, उप मुखिया	₹5,00,000.00	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश फलक दिनांक- 17. 07.2026 में प्राप्त स्वीकृति
कुल			₹50,00,000.00	

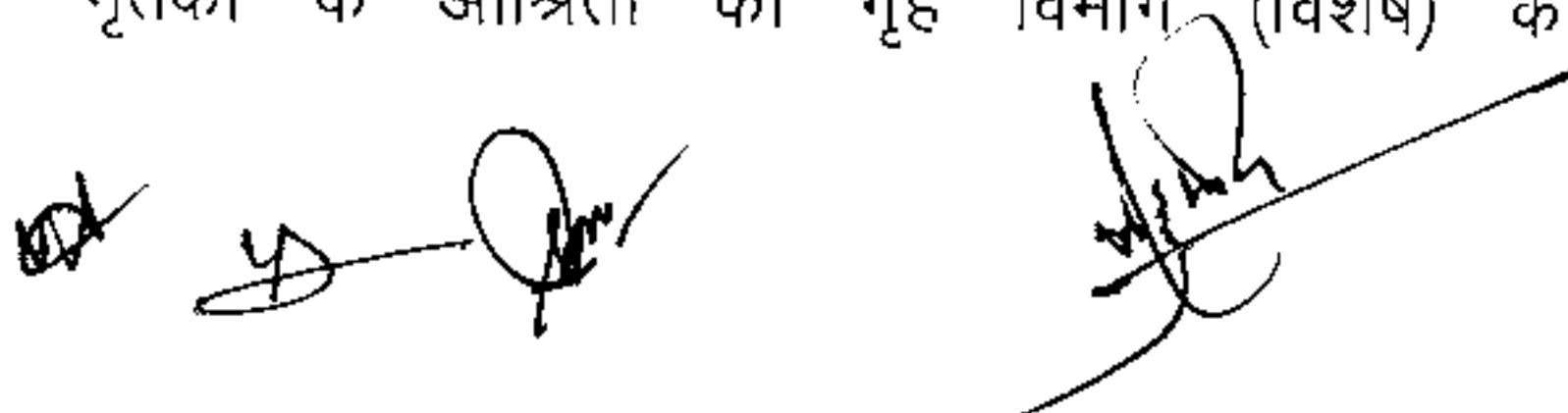
4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष 001-निर्देशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत स्थापना" अंतर्गत "विषय शीर्ष-0101.37.01-अनुग्रह अनुदान" मद से की जायेगी। इसका मांग सं०-16 एवं विपत्र कोड 16-2515000010101 है।

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी होंगे। इस स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में करते हुए CFMS के माध्यम से मृतकों के आश्रितों के बैंक खाते में अंतरित करेंगे।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की स्वीकृति यह मानकर भी दी जा रही है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जनप्रतिनिधि की मृत्यु से संबंधित सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच विभागीय संकल्प संख्या-8116 दिनांक-27.06.2025 के आलोक में अपने स्तर से करा ली गयी है एवं उक्त संकल्प के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि देय है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष) के संकल्प संख्या-ए०/विविध-



(38)-60-2008-8960 दिनांक-30.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक को पूर्व में किसी अन्य कोष (यथा NDRF, SDRF अथवा समरूप किसी आपदा कोष) से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्योदश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-02/2026 के पृष्ठ-...32.../टि० पर दिनांक-11/08/26 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आदेश संचिका 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-02/2026 के पृष्ठ-32/टि० पर दिनांक-21/08/26 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-02/2026/...../पं०रा०पटना, दिनांक...19/8/26

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी / कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-02/2026/...../पं०रा०पटना, दिनांक...19/8/26

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-02/2026/...../पं०रा०पटना, दिनांक...19/8/26

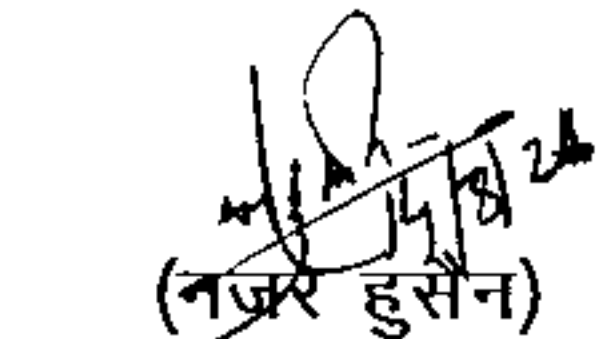
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी-5(बजट) / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ज्ञापांक : 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-17-02/2026/...../प०रा०पटना, दिनांक 19/8/26
प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नज़र हुसैन)
विशेष सचिव

